डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लि.
भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम
Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited
A Govt. of India (Ministry of Railways) Enterprise
डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

New Delhi: 29.09.2021

No. 2021/HQ/Admin/RTI-1010

श्री राजेंद्र कुमार
पुत्र श्री प्रेम नारायन
निवासी - ग्राम व पोस्ट, खम्हैला
तहसील -डेरापुर
जिला - कानपुर देहात
उत्तर प्रदेश
मोबाइल-9616618555

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराना।

संदर्भ: आपका आरटीआई आवेदन दिनांक 15.09.2021 जो इस कार्यालय में दिनांक 11.09.2021 को प्राप्त हुआ।

उपरोक्त आवेदन के सन्दर्भ में, संबंधित कार्यालय से प्राप्त सूचना संलग्न है।

आशा है उपरोक्त जानकारी पूर्ण एवं संतोषजनक है। यदि नहीं, तो आप अपीलीय प्राधिकारी को सूचना की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर अपील कर सकते हैं, जिनका नाम और पता इस प्रकार है;

सुश्री आर० पी० छिब्बर
समूह महाप्रबंधक / प्रशासन, DFCCIL,
5 वीं मंजिल, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन बिल्डिंग,
प्रगति मैदान, नई दिल्ली -110001

संलग्न: 06 पृष्ठ

(एस. के. पण्डा)
संयुक्त महाप्रबंधक /प्रशा. (ज. सू. अ.)
मोबाइल-9717636811

दिनांक:- 27.09.2021

TDL/EN/RTI/212 (A)

उप महाप्रबन्धक/प्रशासन/सी.पी.आई.ओ.

डी० एफ० सी० सी० आई० एल०

नई दिल्ली,

विषय:- सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री प्रेम नारायण, निवासी- ग्राम व पोस्ट- खम्हेला, तहसील- डेरापुर, जनपद- कानपुर देहात, के द्वारा मांगी गयी जानकारी के सम्बन्ध में ।

सन्दर्भ:-
I. मुख्यालय द्वारा प्राप्त RTI संख्या- 2021/HQ/ADMIN/RTI-1010 दिनांक 22.09.2021.
II. उप परियोजना प्रबन्धक/सिविल/कानपुर के पत्र स. CNB/EN/RTI/16(A)/Y-21/M-9(33) दिनांक 25.09.2021.

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र सं. I, के तहत श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री प्रेम नारायण, निवासी- ग्राम व पोस्ट- खम्हेला, तहसील- डेरापुर, जनपद- कानपुर देहात, की जानकारी के लिया RTI प्राप्त हुई । इसकी जानकारी हेतु उप मुख्य परियोजना प्रबन्धक/सिविल/कानपुर को सूचित किया गया । सन्दर्भित पत्र सं. II, के तहत उप परियोजना प्रबन्धक/सिविल/कानपुर द्वारा जो जानकारी प्राप्त हुई वह इस पत्र के साथ संलग्न कर आपको भेजी जा रही है ।

(अरुण कुमार अदलखा)
(उप मुख्य परियोजना प्रबन्धक/मानव संसाधन/टूंडला)

संलग्नक:- 07 प्रष्ठ ।

डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
(रेल मंत्रालय का उपक्रम)
DEDICATED FREIGHT CORRIDOR CORPORATION OF INDIA LIMITED
(AN UNDERTAKING OF MINISTRY OF RAILWAYS)
डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर

दिनांकः– 25.09.2021

पत्रांकः CNB/EN/RTI/16(A)/Y-21/M-9(33)

सेवा में,

महाप्रबन्धक / समन्वय,
डी0एफ0सी0सी0आई0एल0,
टुण्डला (आगरा)

विषयः-- सूचना अधिकार अधिनियम –2005, के अन्तर्गत श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र प्रेम नरायन, निवासी- ग्राम व पोस्ट –खम्हैला, तहसील–डेरापुर जनपद–कानपुर देहात के द्वारा मांगी गई सूचना के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :–उप महाप्रबन्धक / एण्डमीन (पीआईओ), नई दिल्ली, का पत्र 2021/HQ/ADMIN/RTI-1010 Dated 22.09.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें।

सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अर्न्तगत् श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र प्रेम नरायन, निवासी ग्राम व पोस्ट –खम्हैला, तहसील–डेरापुर जनपद–कानपुर देहात के द्वारा, जो जनसूचना अधिकारी / प्रबन्धक, डी0एफ0सी0सी0आई0एल0 नई दिल्ली को सम्बोधित है, उप महाप्रबन्धक / एण्डमीन (पी0आई0ओ) नई दिल्ली के पत्र 2021/HQ/ADMIN/RTI-1010 Dated 22.09.2021 के साथ इस कार्यालय में उप मुख्य परियोजना प्रबन्धक / एच0आर0 / टुण्डला की ई-मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। प्रार्थी द्वारा मांगी गई सूचना के सम्बन्ध में प्रस्तरवार जानकारी निम्नलिखित हैः-

क्रम सं0	प्रार्थी द्वारा मांगी गई सूचना	दी गई जानकारी
1.	क्या डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर विशेष रेल मालभाड़ा परियोजना द्वारा ग्राम खम्हैला, तहसील–डेरापुर, जनपद कानपुर देहात, उ0प्र0 में आने वाले खलिहान के गाटे कमशः 2065, 1938, 1934 का पुर्नग्रहण किया गया हैं, अगर किया गया हैं, तो उन गाटों के बदले कोई वैकल्पिक व्यवस्था करायी गयी हैं।	गाटा सं0 2065, 1938, 1934 का पुर्नग्रहण डी0एफ0सी0सी0आई0एल0 द्वारा किया गया हैं। पुर्नग्रहीत आरक्षित भूमि की वैकल्पिक व्यवस्था हेतु धनराशि चेक सं0 005579 दिनांक 16.07.2018 के माध्यम से राजकीय कोषागार के मुख्य लेखा शीर्षक–0029, उप मुख्य शीर्षक–00, लघु शीर्षक– 800, उपशीर्षक –08, ब्यौरेवार शीर्षक –06 में दिनांक 27.07.2018 को जमा कर दिया गया हैं। (संलग्नक–1) उक्त गाटों के बदले कोई वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध कराये जाने हेतु कार्यवाही जिला प्रशासन स्तर से की जाती हैं। उक्त के सम्बन्ध में जिला प्रशासन, कानपुर देहात से सम्पर्क कर सकते हैं ।

Office Of Dy. Chief Project Manager:-117/H2/180 Block, Pandu Nagar, Kanpur – 208005
Telefax: 0512-,2225124 Mobile 7060803032 E mail– dcchampia@dfcc.co.in, Website www.dfccil.gov.in

2.	अगर उपरोक्त गाटों के बदले कोई वैकल्पिक व्यवस्था करायी गयी हैं, तो किन–किन गाटों को लिया गया हैं, तथा भूमि सरकारी ली गयी या निजी कास्तकारों (भूस्वामियों) का नाम तथा पता उल्लिखित करने का कष्ट करें।	उक्त के सम्बन्ध में जिला प्रशासन, कानपुर देहात से सम्पर्क कर सकते हैं । वैकल्पिक व्यवस्था के सम्बन्ध में भूमि का पुर्नग्रहण/अधिग्रहण निजी कास्तकारों द्वारा नहीं किया गया है।
3.	अगर निजी कास्तकारों द्वारा ली गयी हैं, तो कृपया कास्तकारों (भूस्वामियों) का नाम तथा उल्लिखित करने का कष्ट करें।	प्रस्तर–2 में उल्लेखित हैं।
4.	क्या कास्तकारों (भू–स्वामियों) की ली गयी भूमि का भुगतान किया गया हैं।	प्रस्तर–2 में उल्लेखित हैं।
5.	अगर भुगतान नहीं किया गया हैं, तो कारण बताने का कष्ट करें।	प्रस्तर–1 में उल्लेखित हैं।
6.	कार्यालय DFCCIL कानपुर नगर के पत्र सं0 CNB/EN/Res/KD/157(A) दिनांक 11.01.2016 की फोटोकापी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।	पत्र दिनांक 11.01.2016 की छायाप्रति संलग्न (संलग्नक–2)

कृपया वस्तुस्थिति से अवगत होते हुए अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्तानुसार।

उप परियोजना प्रबन्धक (ईजी0)
डी0एफ0सी0सी0आई0एल0/कानपुर।
25/09/2021

प्रतिलिपिः– उप मुख्य परियोजना प्रबन्धक/एच0आर0/टुण्डला को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु।

डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
(रेल मंत्रालय का उपक्रम)
DEDICATED FREIGHT CORRIDOR CORPORATION OF INDIA LIMITED
(AN UNDERTAKING OF MINISTRY OF RAILWAYS)

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

दिनांक:– 27/7/18

पत्रांक:–CNB/EN/Res.(KD)/157(A)

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)
जनपद–कानपुर देहात

विषय:–विशेष रेल परियोजना में प्रभावित एवं पुनर्ग्रहीत आरक्षित भूमि की वैकल्पिक व्यवस्था हेतु धनराशि जमा कराये जाने के सम्बंध में।

संदर्भ:–आपके कार्यालय का पत्र सं0–366 / डी0एल0आर0सी0–का0दे0–डी0एफ0सी0सी0आई0एल0–भू–अर्जन / 2018, दिनांक–18 अप्रैल 2018

महोदय,

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से डी0एफ0सी0सी0आई0एल0 परियोजना हेतु जनपद–कानपुर देहात की तहसील–अकबरपुर, मैथा व डेरापुर से सम्बंधित ग्रामों की पुनर्ग्रहीत आरक्षित भूमि की वैकल्पिक व्यवस्था हेतु निर्धारित दर से धनराशि जमा करने की अपेक्षा की गई थी। उक्त के सम्बंध में अवगत कराना है कि सम्बंधित ग्रामों की पुनर्ग्रहीत आरक्षित भूमि की वैकल्पिक व्यवस्था हेतु रू0 2,33,60,698/– (शब्दों में रू0 दो करोड़ तैतीस लाख साठ हजार छः सौ अट्ठान्नवे मात्र) चेक सं0–00557 दिनांकित–16.07.2018 द्वारा राजकीय कोष के मुख्य लेखा शीर्षक–0029, उप मुख्य शीर्षक–00, लघु शीर्षक–800 उप शीर्षक–08, ब्यौरेवार शीर्षक–06 में दिनांक–27-07-2018 को जमा कर दिया गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि पुनर्ग्रहीत भूमि के बदले वैकल्पिक व्यवस्था करते हुए पुनर्ग्रहीत भूमि प डी0एफ0सी0सी0आई0एल0 को कब्जा प्रदान करने का कष्ट करें।

27/7/2018

संलग्नक - उपरोक्तानुसार।

O/C

उप मुख्य परियोजना प्रबंधक
डी.एफ.सी.सी.आई.एल.,
कानपुर

Office Of Dy.Chief Project Manager:-117/H2/180 Block, Pandu Nagar, Kanpur – 208025
Telefax: 0512-,2225124 Mobile- 7060803012, E mail – bsjaryal15@gmail.com, Website www.dfccil.gov.in
EDFC/Yameen/Notes Folder/July.18/Alternative Land Letter

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–2

प्रपत्र संख्या–43ए (1)

(प्रस्तर 417 एवं 478 देखिए)

कोषागार प्रपत्र–209(1)

धनराशि जमा करने का चालान फार्म

1. उप कोषागार/बैंक का नाम व शाखा	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, माती जनपद–कानपुर देहात, तहसील–मैथा, अकबरपुर व डेरापुर
2. जिस व्यक्ति (पदनाम यदि आवश्यक हो) या संस्था के नाम से धनाशि जमा की जा रही है उसका नाम	उप मुख्य परियोजना प्रबन्धक, डी0एफ0सी0सी0आई0एल0, कानपुर।
3. पता:–	117/180, एच–2, पाण्डु नगर, कानपुर–208005 ।
4. पंजीकरण संख्या/पक्ष का नाम व वाद संख्या (यदि आवश्यक हो)	लागू नहीं।
जमा की जा रही धनाशि का पूर्ण विवरण (धनाशि किस हेतु जमा की जा रही है तथा किस विभाग के पक्ष में जमा की जा रही है।)	विशेष रेल परियोजना, पूर्वी समर्पित मालभाड़ा कोरीडोर के अन्तर्गत जिला–कानपुर देहात में पुनर्ग्रहीत (वैकल्पिक व्यवस्था) भूमि के पूंजीकृत मूल्य की धनराशि क्रमशः ग्राम– 1) औंट–वैकल्पिक व्यवस्था रू0 3,71,745/–, 2) रैपालपुर–वैकल्पिक व्यवस्था रू0 1,02,61,103/–, 3) भाऊपुर–वैकल्पिक व्यवस्था रू0 1,58,022/–, 4) सबलपुर बिठूर–वैकल्पिक व्यवस्था रू0 83,934/–, 5) जगदीशपुर–वैकल्पिक व्यवस्था रू0 3,16,180/–, 6) अम्बियापुर–वैकल्पिक व्यवस्था रू0 11,76,215/–, 7) कमालपुर–वैकल्पिक व्यवस्था रू0 14,33,924/–, 8) खम्हैला–वैकल्पिक व्यवस्था रू0 86,18,333/–, 9) परजनी–वैकल्पिक व्यवस्था रू0 2,01,052/–, 10) रानेपुर रसूलाबाद–वैकल्पिक व्यवस्था रू0 7,40,190/– में पुनर्ग्रहीत (वैकल्पिक व्यवस्था) भूमि के पूँजीकृत मूल्य की धनराशि क्रमशः 10 ग्राम कुल धनराशि–रू0 2,33,60,698/– जो राजस्व विभाग के पक्ष में जमा की जा रही है।
5. चालान की सकल धनराशि	रू0 2,33,60,698/–
6. चालान की निबल धनाशि	रू0 2,33,60,698/–
7. लेखा शीर्षक का पूर्ण विवरण/लेखा शीर्षक की मुहर	0029–भू–राजस्व–00–800–अन्य प्राप्तियां 08–मालिकाना राजस्व–0806–प्रकीर्ण प्राप्तियां
8. लेखा शीर्षक का 13 डिजिट कोड	

मुख्य लेखाशीर्षक	उप मुख्य शीर्षक	लघु शीर्षक	उप शीर्षक	ब्यौरेवार शीर्षक	धनराशि अंको में
0 0 2 9	0 0	8 0 0	0 8	0 6	रू02,33,60,698/–

योग रू0 2,33,60,698/–

धनराशि (शब्दों में) रू0 दो करोड़ तैंतीस लाख साठ हजार छः सौ अट्ठान्वे मात्र

चालान में लेखा शीर्षक की पुष्टि करने वाले विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित

जमाकर्ता का नाम व हस्ताक्षर

केवल उपकोषागार/बैंक के प्रयोगार्थ

अंको में रू0

GR-12856 शब्दों में रू0 प्राप्त किया।

चालान संख्या

दिनाँक

डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
(भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम)
DEDICATED FREIGHT CORRIDOR CORPORATION OF INDIA LIMITED
(AN UNDERTAKING OF MINISTRY OF RAILWAYS)

दिनांकः–11.01.2016

पत्राँकः–**CNB/EN/Res./KD/ 157 (A)**

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)

कानपुर देहात।

विषय-- ग्राम–खम्हैला, तहसील--डेरापुर, जिला–कानपुर देहात में भारत सरकार की ईस्टर्न डेडीकेटड फ्रेट कॉरीडोर रेल परियोजना हेतु पुनर्ग्रहीत गाटा सं0–2065 रकबा--0.2420हे0, गाटा सं0-- 1938 रकबा– 0.3590हे0, गाटा सं0– 1934 रकबा– 0.1020हे0 (खलिहान की भूमि) की वैकल्पिक व्यवस्था कराये जाने के सम्बध में।

सन्दर्भ-- (1) उत्तरप्रदेश शासन राजस्व अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या 79/एक–1–2012–5 (2)/2012 लखनऊ, दिनांक– 31.05.2012 ।
(2) पुनर्ग्रहीत भूमि का मूल्य जमा करने हेतु जिलाधिकारी कार्यालय का पत्र सं0--969 दि0–13.01.2010।
(3) इस कार्यालय का पत्र सं0–सी.एन.बी./ई.एन./का.दे./रिजे./157(ए) दिं0–19.10.2015

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात के विभिन्न ग्रामों में उपरोक्त सन्दर्भित शासनादेश के माध्यम से लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निर्वतन पर भारत सरकार की ईस्टर्न डेडीकेटड फ्रेट कॉरीडोर रेल परियोजना हेतु गाटों का पुनर्ग्रहण किया गया है, जिसके प्रस्तर–4 में यह उल्लेख किया गया है कि "**पुनर्ग्रहण यदि, अति आवश्यक हो तो उक्त हेतु वैकल्पिक व्यवस्था कराने के उपरान्त ही पुनर्ग्रहण किया जा सकेगा**"। सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में परियोजना के मार्ग के अन्दर आने वाली प्रभावित पुनर्ग्रहीत भूमि का मूल्य सन्दर्भ–2 के माध्यम से प्राप्त हुआ था, जिसे चैक संख्या– 60571, दिनॉक–01.11.2011 तथा ट्रेजरी चालान सं0– 125510, दिनॉक–12.11.2011 के माध्यम से जमा किया जा चुका है।

चूंकि शासनादेश के अनुसार परियोजना द्वारा पुनर्ग्रहीत भूमि के सापेक्ष वैकल्पिक व्यवस्था भी की जानी हैं अतः सन्दर्भ–3 के माध्यम से वैकल्पिक व्यवस्था हेतु सभी प्रभावित ग्रामों में चिन्हित भूमि के मूल्य के अंतर की धनराशि रूपया– 14,36,698.00 किस मद या खाते मे जमा की जानी है इसकी सूचना मांगी गई हैं, जो अपेक्षित हैं। किन्तु वैकल्पिक व्यवस्था हेतु ग्राम–खम्हैला के गाटा सं0–2065 रकबा–0.2420हे0, गाटा सं0– 1938 रकबा– 0.3590हे0, गाटा सं0– 1934 रकबा– 0.1020हे0 (खलिहान) की भूमि के सापेक्ष सम्बन्धित ग्राम में ग्राम सभा की भूमि उपलब्ध न होने के कारण वैकल्पिक व्यवस्था हेतु भूमि चिन्हित नही की जा सकी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि ग्राम– खम्हैला, तहसील-- डेरापुर, जिला– कानपुर देहात, के गाटा सं0–2065 रकबा–0.2420 हे0, गाटा सं0– 1938 रकबा– 0.3590 हे0, गाटा सं0-- 1934 रकबा-- 0.1020 हे0 (खलिहान की भूमि) के बदले वैकल्पिक व्यवस्था हेतु उपयुक्त व्यक्तिगत भूमि का अधिग्रहण अपने स्तर से करते हुये धनराशि जमा करने हेतु इस कार्यालय को सूचित करने का कष्ट करें। इस प्रकार अधिग्रहीत भूमि के मूल्य का भुगतान डी0एफ0सी0सी0आई0एल0 द्वारा अविलम्ब कर दिया जायेगा।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

उप मुख्य परियोजना प्रबन्धक
डी0एफ0सी0सी0आई0एल0
कानपुर।

Dy CPM office -117/H2/180 Block, Pandu Nagar, Kanpur - 208025, Telefax:- 0512-2225124 Mobile- 7060803012
E mail- bsjaryal15@gmail.com, Website www.dfccil.gov.in